



बिहार सरकार
कृषि विभाग

नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड
टेक्नोलोजी के तहत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल
एक्सटेंशन (आत्मा योजना) अंतर्गत

किसान पुरस्कार कार्यक्रम 2020-21 के
कार्यान्वयन हेतु अनुदेश



बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती)
पोस्ट- बिहार भेटनरी कॉलेज, पटना – 800014

नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्वरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलोजी के तहत
सब-मिशन ऑन एग्रीकल्वरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) अंतर्गत
किसान पुरस्कार कार्यक्रम 2020-21 के कार्यान्वयन हेतु अनुदेश

1. **परिचय** – नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्वरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलोजी के अंतर्गत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्वरल एक्सटेंशन द्वारा नई आत्मा योजना में कृषि प्रसार तंत्र को सक्षम एवं प्रभावकारी बनाया जाना है। इसके लिए प्रशिक्षण, परिभ्रमण, किसान पाठशाला का संचालन, कृषक हित समूह का गठन, खाद्य सुरक्षा समूह का गठन आदि के माध्यम से कृषि की उन्नत तकनीकी को हस्तानांतरित करते हुए बिहार के किसानों को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाया जाएगा। किसान मेला/गोष्ठी/सम्मेलन/कर्मशाला/किसान वैज्ञानिक संवाद आदि का आयोजन करके किसानों को कार्य कुशल बनाया जाएगा। राज्य में अतिविशिष्ट/उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों की सफलताओं को अन्य किसानों के बीच प्रचारित एवं प्रसारित किया जाना है। इसलिए सब-मिशन ऑन एग्रीकल्वरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) 2020-21 अंतर्गत प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर कृषि एवं कृषि के संबद्ध क्षेत्रों यथा उद्यान, पशुपालन, मत्स्यपालन एवं डेयरी आदि में अतिविशिष्ट/उत्कृष्ट कार्यों एवं उपलब्धियों के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु किसान पुरस्कार योजना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है।
2. **कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य**—
 - i. अतिविशिष्ट/उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों की उपलब्धियों को अन्य किसानों के बीच प्रचारित करना ताकि वे इसे अपनाकर इसका लाभ उठा सकें।
 - ii. अतिविशिष्ट/उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करना।
 - iii. कृषि एवं कृषि से सम्बद्ध क्षेत्रों की उन्नत तकनीकी को जल्द से जल्द कृषकों के बीच प्रचारित एवं प्रसारित करना।
 - iv. किसानों के बीच प्रतियोगिता की भावना विकसित करना।
 - v. किसानों को सशक्त एवं स्वावलम्बी बनाना।



3. कार्यक्रम का लक्ष्य— वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर प्रक्षेत्र/व्यवसायवार पुरस्कार वितरण का लक्ष्य निम्न प्रकार से है –

1. प्रखंड स्तर — प्रत्येक प्रखंड में पाँच प्रक्षेत्रों में एक—एक पुरस्कार यानि कुल $534 \times 5 = 2670$ पुरस्कार तथा 10,000.00 रु0 प्रति पुरस्कार की दर से कुल 2,67,00,000.00 पुरस्कार निम्न विवरणी के अनुसार दिया जाएगा –

क्रो सं	जिला का नाम	प्रखंड स्तर पर दिये जाने वाले पुरस्कार के लिए जिलावार फसलों की सूची			
		खरीफ मौसम के लिए	रबी मौसम के लिए		
			कृषि	उद्यान	मत्स्य
1	Araria	धान	मक्का	आलू	मछली पालन
2	Arwal	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
3	Aurangabad	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
4	Gopalganj	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
5	Banka	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
6	Begusarai	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
7	Bhagalpur	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
8	Buxar	धान	गेहूँ	प्याज	मछली पालन
9	Bhojpur	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
10	Darbhanga	धान	गेहूँ	मखाना	मछली पालन
11	Gaya	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
12	East Champaran	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
13	Jamui	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
14	Jehanabad	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
15	Kaimur	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
16	Katihar	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
17	Khagaria	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
18	Kishanganj	धान	मक्का	अनानास	मछली पालन
19	Madhepura	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
20	Lakhisarai	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
21	Muzaffarpur	धान	गेहूँ	लीची	मछली पालन
22	Madhubani	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
23	Munger	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन (ब्लैक बंगाल)
24	Nalanda	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
25	Nawada	धान	गेहूँ	पपीता	मछली पालन



क्र० सं०	जिला का नाम	प्रखंड स्तर पर दिये जाने वाले पुरस्कार के लिए जिलावार फसलों की सूची				
		खरीफ मौसम के लिए	रबी मौसम के लिए	कृषि	उद्यान	मत्स्य
26	Patna	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन	गाय पालन
27	Saharsa	धान	गेहूँ	मखाना	मछली पालन	गाय पालन
28	Rohtas	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन	गाय पालन
29	Saran	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन	गाय पालन
30	Samastipur	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन	गाय पालन
31	Purnea	धान	मक्का	आलू	मछली पालन	गाय पालन
32	Sheikhpura	धान	गेहूँ	प्याज	मछली पालन	बकरीपालन (ब्लैक बंगाल)
33	Sheohar	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन	गाय पालन
34	Sitamarhi	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन	गाय पालन
35	Siwan	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन	गाय पालन
36	Supaul	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन	गाय पालन
37	Vaishali	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन	गाय पालन
38	West Champaran	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन	गाय पालन

2. जिला स्तर – प्रत्येक जिला में पाँच प्रक्षेत्रों में एक-एक पुरस्कार यानि कुल $38 \times 5 = 2670$ पुरस्कार तथा 25,000/- रु० प्रति पुरस्कार की दर से कुल 47,50,000.00 पुरस्कार निम्न विवरणी के अनुसार दिया जाएगा—

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रखंड स्तर पर दिये जाने वाले पुरस्कार के लिए जिलावार फसलों की सूची				
		खरीफ मौसम के लिए	रबी मौसम के लिए	कृषि	उद्यान	मत्स्य
1	Araria	धान	मक्का	आलू	मछली पालन	गाय पालन
2	Arwal	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन	गाय पालन
3	Aurangabad	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन	गाय पालन
4	Gopalganj	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन	गाय पालन
5	Banka	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन	गाय पालन
6	Begusarai	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन	गाय पालन
7	Bhagalpur	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन	गाय पालन
8	Buxar	धान	गेहूँ	प्याज	मछली पालन	गाय पालन
9	Bhojpur	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन	गाय पालन
10	Darbhanga	धान	गेहूँ	मखाना	मछली पालन	गाय पालन
11	Gaya	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन	गाय पालन

क्रो सं	जिला का नाम	प्रखंड स्तर पर दिये जाने वाले पुरस्कार के लिए जिलावार फसलों की सूची			
		खरीफ मौसम के लिए	रबी मौसम के लिए		
			कृषि	उद्यान	मत्स्य
26	Patna	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
27	Saharsa	धान	गेहूँ	मखाना	मछली पालन
28	Rohtas	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
29	Saran	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
30	Samastipur	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
31	Purnea	धान	मक्का	आलू	मछली पालन
32	Sheikhpura	धान	गेहूँ	प्याज	मछली पालन (ब्लैक बंगाल)
33	Sheohar	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
34	Sitamarhi	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
35	Siwan	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
36	Supaul	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
37	Vaishali	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
38	West Champaran	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन

2. जिला स्तर – प्रत्येक जिला में पाँच प्रक्षेत्रों में एक-एक पुरस्कार यानि कुल $38 \times 5 = 2670$ पुरस्कार तथा 25,000/- ₹ प्रति पुरस्कार की दर से कुल 47,50,000.00 पुरस्कार निम्न विवरणी के अनुसार दिया जाएगा—

क्रो सं	जिला का नाम	प्रखंड स्तर पर दिये जाने वाले पुरस्कार के लिए जिलावार फसलों की सूची			
		खरीफ मौसम के लिए	रबी मौसम के लिए		
			कृषि	उद्यान	मत्स्य
1	Araria	धान	मक्का	आलू	मछली पालन
2	Arwal	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
3	Aurangabad	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
4	Gopalganj	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
5	Banka	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
6	Begusarai	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
7	Bhagalpur	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
8	Buxar	धान	गेहूँ	प्याज	मछली पालन
9	Bhojpur	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
10	Darbhanga	धान	गेहूँ	मखाना	मछली पालन
11	Gaya	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रखंड स्तर पर दिये जाने वाले पुरस्कार के लिए जिलावार फसलों की सूची			
		खरीफ मौसम के लिए	कृषि	उद्यान	मत्स्य
12	East Champaran	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
13	Jamui	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
14	Jehanabad	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
15	Kaimur	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
16	Katihar	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
17	Khagaria	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
18	Kishanganj	धान	मक्का	अनानास	मछली पालन
19	Madhepura	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
20	Lakhisarai	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
21	Muzaffarpur	धान	गेहूँ	लीची	मछली पालन
22	Madhubani	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
23	Munger	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन बकरीपालन (ब्लैक बंगाल)
24	Nalanda	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
25	Nawada	धान	गेहूँ	पपीता	मछली पालन
26	Patna	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
27	Saharsa	धान	गेहूँ	मखाना	मछली पालन
28	Rohtas	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
29	Saran	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
30	Samastipur	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
31	Purnea	धान	मक्का	आलू	मछली पालन
32	Sheikhpura	धान	गेहूँ	प्याज	मछली पालन बकरीपालन (ब्लैक बंगाल)
33	Sheohar	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
34	Sitamarhi	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
35	Siwan	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
36	Supaul	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
37	Vaishali	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन
38	West Champaran	धान	गेहूँ	आलू	मछली पालन

3. राज्य स्तर – राज्य स्तर पर पाँच प्रक्षेत्रों में एक–एक पुरस्कार यानि कुल 05 पुरस्कार तथा 50,000.00 रु० प्रति पुरस्कार की दर से कुल 2,50,000.00 रु० पुरस्कार दिया जायेगा। उद्यान प्रक्षेत्र में राज्य स्तर पर पुरस्कार का निर्धारण उद्यान निदेशालय द्वारा किया जायेगा—

क्र० सं०	स्तर	प्रति किसान पुरस्कार का दर (रु० लाख में)	लक्ष्य		प्रक्षेत्र/व्यवसाय का नाम एवं पुरस्कार की सं०
			भौतिक	वित्तीय (रु० लाख में)	
3.	राज्य	0.50	05	2.50	धान – 01 गेहूँ/मक्का – 01 उद्यानिक फसल – 01 गाय पालन – 01 मत्स्यपालन – 01

4. पुरस्कार का विवरण— समारोह आयोजित कर किसान को निम्न रूपों में पुरस्कृत किया जाएगा—

क्र०सं०	स्तर	पुरस्कार का विवरण (प्रति किसान)		
		नगद	प्रशस्ति पत्र	पुरस्कार का प्रकार
1.	प्रखंड	10,000 रु०	01 अदद	किसान श्री
2.	जिला	25,000 रु०	01 अदद	किसान गौरव
3.	राज्य	50,000 रु०	01 अदद	किसान श्रेष्ठ

5. कृषक पुरस्कार हेतु शर्तें/मापदण्ड – किसानों के चयन हेतु मापदण्ड प्रक्षेत्रवार निम्न प्रकार से हैं—

- खाद्यान्न फसल**— इस क्षेत्र में चयन का आधार गुणवत्तापूर्ण अधिकतम उत्पादकता (विव०/एकड़) होगी। उत्पादकता का निर्धारण खेत में $10m \times 5m = 50$ वर्गमीटर में फसल जाँच कटनी आयोजित कर किया जाएगा।
- उद्यानिक फसल** — इस क्षेत्र में कृषक पुरस्कार हेतु उद्यान निदेशालय द्वारा निर्गत शर्त एवं मापदण्ड के अनुसार किया जाएगा।
- (क) गायपालन** — गायपालन के लिए कृषक पुरस्कार हेतु निदेशक पशुपालन, बिहार, पटना द्वारा निर्गत शर्त एवं मापदण्ड के अनुसार निम्नांकित विवरणी के अनुसार किया जाएगा—
 - न्यूनतम उत्पादकता प्रति गाय (संकर नरस्ल) – 10 लीटर प्रति शाम (औसत)
 - न्यूनतम उत्पादकता प्रति गाय (देशी नरस्ल) – 05 लीटर प्रति शाम (औसत)
- (ख) बकरी पालन** — बकरीपालन के लिए संबंधित किसान के पास किसान पुरस्कार हेतु उत्पादकता का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा—



Sl. No.	Name of Breed	Adult Body (Wt.)		Litter size	Milk (Yield/day)
		Buck	DOE		-
1.	Black Bengal	30 kg.	23 kg.	3	-

iv. मत्स्यपालन – मत्स्यपालन के लिए किसान पुरस्कार हेतु तालाब की उत्पादकता मिश्रित मत्स्य पालन (**Composite Fish Culture**) की स्थिति में 04 टन एवं पंगेशियस मछली पालन में न्यूनतम 20 टन प्रति होना अनिवार्य है। साथ ही मत्स्य बिक्री का ब्योरा पंजी में संधारित हो।

6. किसान की पात्रता – किसान पुरस्कार के लिए किसान की पात्रता निम्न प्रकार से होगी –

- i. कृषि प्रक्षेत्र – संबंधित किसान कृषि (खाद्यान्न) के क्षेत्र में कम-से-कम आधा एकड़ में फसल लगाया हो।
- ii. उद्यान प्रक्षेत्र – संबंधित क्षेत्र में चयन का आधार उद्यान निदेशालय द्वारा तैयार किया जाएगा।

iii. मस्यपालन –

- इसके लिए संबंधित किसान के पास कम से कम एक तालाब उपलब्ध हो जिसका जलक्षेत्र न्यूनतम 0.5 एकड़ होना चाहिए।
- मत्स्य पालन में हेतु, इयरलिंग (09–12 माह पुराना बीज) का संचय, मत्स्य आहार का नियमित प्रयोग, जलीय गुणवत्ता का नियमित जाँच, बिमारी के रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय आदि किया जा रहा हो।
- मत्स्य पालक के द्वारा मात्स्यकी संबंधी सभी गतिविधी का संधारण (बीज संचय, मत्स्य आहार उपयोग, मछली एवं पानी जाँच एवं प्रबंधन) नियमित किया जा रहा हो।
- तालाब की उत्पादकता मिश्रित मत्स्य पालन (**Composite Fish Culture**) की स्थिति में 04 टन एवं पंगेशियस मछली पालन में न्यूनतम 20 टन प्रति होना अनिवार्य है। साथ ही मत्स्य बिक्री का ब्योरा पंजी में संधारित हो।
- संधारित पंजी में मछली बिक्री करने वाले बाजार, थोक बिक्रेता एवं खुदरा बिक्रेता का नाम, मछली का वजन तिथिवार अंकित हो।
- प्रखंड स्तर पर मत्स्य प्रक्षेत्र में ऑन लाईन प्राप्त सभी आवेदन का जाँच गठित उत्पादकता जाँच/मूल्यांकन समिति के द्वारा किया जाएगा।
- मत्स्य प्रक्षेत्र से प्राप्त आवेदन पत्रों एवं संलग्न कागजातों का संधारण प्रखंड तकनीकी पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- मत्स्य प्रक्षेत्र के आवेदन पत्रों एवं संलग्न कागजातों की एक प्रति प्रखंड तकनीकी प्रबंधक द्वारा जिला मत्स्य पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।

- iv. गायपालन – इसके लिए संबंधित किसान के पास कम से कम दो दूधारू गाय { (संकर नस्ल) / (देशी) } उपलब्ध हो।
- v. बकरी पालन – बकरीपालन के लिए संबंधित किसान के पास कम से कम 10 बकरी एवं 01 बकरा का इकाई उपलब्ध होना चाहिए।
7. पुरस्कार हेतु न्यूनतम उत्पादकता का निर्धारण – आवेदक को अपने फसल/इकाई का प्रति इकाई औसत उत्पादकता निम्न से कम नहीं होना चाहिए।

क्र० सं०	व्यवसाय / इकाई का नाम	न्यूनतम उत्पादकता प्रति इकाई	अभ्युक्ति
1.	धान	60 किवो प्रति हेक्टेयर	
2.	रबी संकर मक्का	80 किवो प्रति हेक्टेयर	
3.	गेहूँ	40 किवो प्रति हेक्टेयर	
4.	आलू	250 किवो प्रति हेक्टेयर	
5.	गाय पालन (संकर नस्ल)	10 लीटर दूध प्रति गाय प्रति शाम (औसत)	
6.	गाय पालन (देशी)	05 लीटर दूध प्रति गाय प्रति शाम (औसत)	
7.	बकरीपालन (ब्लैक बंगाल)	Buck - 30 kg., DOE 23 kg. and Litter Size - 03	
8.	प्याज	200 किवो प्रति हेक्टेयर	
	मछलीपालन		मत्स्य बिक्री का ब्योरा पंजी में संधारित हो।
	क. Composite Fish Culture	40 किवो प्रति हेक्टेयर	
	ख. पंगेशियस	200 किवो प्रति हेक्टेयर	

8. आवेदन देने एवं चयन की प्रक्रिया –

- 8.1. किसानों का निबंधन – इच्छुक किसान विहित प्रपत्र अनुसूची-1, 2 तथा 3 में कृषि, उद्यान, पशुपालन एवं मत्स्यपालन प्रक्षेत्रों में चिन्हित व्यवसाय के लिए ऑन-लाईन आवेदन करेंगे। ऑफ लाईन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे। एक किसान एक से अधिक प्रक्षेत्र के लिए भी आवेदन दे सकते हैं तथा कृषि विभाग के वेबसाईट पर पंजीकृत किसान ही आवेदन कर सकते हैं परन्तु पशुपालक एवं मत्स्यपालक के लिए यह अनिवार्य नहीं होगा। इसके रथान पर पहचान पत्र/आधार कार्ड/किसान क्रेडिट कार्ड/राशन कार्ड अनिवार्य होगा।

क. आवेदक को आवेदन के साथ निम्न कागजात संलग्न करना होगा—

- पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/किसान क्रेडिट कार्ड/राशन कार्ड आदि में से किसी एक की प्रति ऑन लाईन अपलोड करना होगा।
- ऑन लाईन आवेदन किसान अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं। किसान अपने प्रखंड के ई-किसान भवन में जाकर निःशुल्क रूप में आवेदन पत्र भर सकते हैं। परियोजना निदेशक, आत्मा/प्रखंड तकनीकी प्रबंधक ऑन लाईन आवेदन भराने में किसानों की मदद करेंगे।
- सभी प्रक्षेत्रों के ऑनलाईन आवेदनपत्र संबंधित प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के यहाँ जमा होंगे। प्रखंड तकनीकी प्रबंधक कृषि प्रक्षेत्र के आवेदन पत्रों एवं संबद्ध कागजातों को परियोजना निदेशक, आत्मा को, उद्यान प्रक्षेत्र के आवेदन पत्रों का सहायक निदेशक उद्यान को, पशुपालन प्रक्षेत्र के आवेदन पत्रों एवं संबद्ध कागजातों को जिला पशुपालन पदाधिकारी तथा मत्स्य प्रक्षेत्र के आवेदन पत्रों एवं संबद्ध कागजातों को जिला मत्स्य पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
- निर्धारित उत्पादकता से कम उत्पादकता प्राप्त होने पर संबंधित किसान पुरस्कार के योग्य नहीं माने जायेंगे।

9. प्रखंड स्तर पर आवेदन देने के लिए समय सीमा का निर्धारण —

किसान का चयन कृषि, उद्यान, पशुपालन एवं मत्स्यपालन प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग करना है। इसलिए संबंधित प्रक्षेत्र के फसल ईकाई/व्यवसाय विशेष की परिपक्वता के आधार पर निवंधन हेतु निर्धारित तिथि के अनुसार हीं आवेदन पत्र लिए जायेंगे। मौसमवार आवेदनपत्र देने की तिथि निम्न प्रकार से निर्धारित की जाती है—

क्र० सं०	प्रक्षेत्र	मौसम	आवेदन देने की तिथि	आवेदकों की जाँच एवं स्वीकृति की तिथि	फसल कटनी जाँच हेतु आवेदक द्वारा आवेदन देने की तिथि	उत्पादकता जाँच की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	कृषि	खरीफ (खाद्यान्न)	15 नवम्बर से 30 नवम्बर, 2020	आवेदन पत्र प्राप्ति के 10 दिनों के अंदर	फसल कटने के 10 दिन पूर्व	कॉलम 5 के अनुसार
2.	कृषि	रबी (खाद्यान्न)	25 नवम्बर से 25 दिसम्बर, 2020	"	"	कॉलम 5 के अनुसार
3.	उद्यान	उद्यानिक फसलें	25 नवम्बर से 25 दिसम्बर,	"	"	

क्र० सं०	प्रक्षेत्र	मौसम	आवेदन देने की तिथि	आवेदकों की जाँच एवं स्वीकृति की तिथि	फसल कटनी जाँच हेतु आवेदक द्वारा आवेदन देने की तिथि	उत्पादकता जाँच की तिथि
			2020			
4.	पशुपालन	गायपालन	25 नवम्बर से 20 दिसम्बर, 2020	"	31 जनवरी 2021 तक किया जा सकता है।	कॉलम 6 के अनुसार
		बकरीपालन (ब्लैक बंगाल)	25 नवम्बर से 20 दिसम्बर, 2020	"	आवेदन देने के 15 दिनों के अंदर	कॉलम 6 के अनुसार
4.	मत्स्यपालन	—	15 फरबरी से 15 मार्च, 2021	"	15 जुलाई 2021 तक	कॉलम 6 के अनुसार

10. उत्पादकता मूल्यांकन / निर्धारण हेतु समिति का गठन – कृषि प्रक्षेत्र में किसानों से प्राप्त आवेदन पत्र की जाँच, स्वीकृति, उत्पादकता का निर्धारण / मूल्यांकन एवं अन्य कार्यों के सम्पादन हेतु प्रखण्ड स्तर पर एक मूल्यांकन समिति का गठन किया जाता है जिसके सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार से है –

- प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक — संयोजक
- प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी — सदस्य
- उद्यान पदाधिकारी / उद्यान निरीक्षक / सहायक निदेशक, उद्यान द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी — सदस्य
- मत्स्य प्रसार पदाधिकारी / जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी — सदस्य
- प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक / पदाधिकारी — सदस्य
- प्रखण्ड मुख्यालय के वरीय सहायक तकनीकी प्रबंधक / प्रखण्ड मुख्यालय का कृषि समन्वयक — सदस्य
- उपर्युक्त सदस्यों में से 03 सदस्यों की उपरिथिति / जाँच से कोरम पूरा माना जाएगा, परन्तु संयोजक की उपरिथिति अनिवार्य होगी। मूल्यांकन समिति के मूल्यांकन संबंधी प्रपत्र अनुसंधी-4 के रूप में संलग्न है।



- निदेशक उद्यान, बिहार द्वारा उद्यान क्षेत्र के किसानों से प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच, स्वीकृति, उत्पादकता का निर्धारण/मूल्यांकन एवं अन्य कार्यों के सम्पादन हेतु एक मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा।
- निदेशक पशुपालन, बिहार द्वारा पशुपालन क्षेत्र के किसानों से प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच, स्वीकृति, उत्पादकता का निर्धारण/मूल्यांकन एवं अन्य कार्यों के सम्पादन हेतु एक मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा।
- निदेशक मत्स्यपालन, बिहार द्वारा मत्स्यपालन क्षेत्र के किसानों से प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच, स्वीकृति, उत्पादकता का निर्धारण/मूल्यांकन एवं अन्य कार्यों के सम्पादन हेतु एक मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा।

11. उत्पादकता का मूल्यांकन/निर्धारण –

- कृषि प्रक्षेत्र के लिए निर्धारित अवधि में संबंधित किसान द्वारा प्रखंड तकनीकी प्रबंधक को उत्पादकता निर्धारण हेतु फसल जाँच करनी के लिए फसल कटने के 10 दिन पूर्व आवेदनपत्र दिया जाएगा। आवेदक के आवेदन के आलोक में प्रखंड स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा क्षेत्र का भ्रमण कर प्रति एकड़ उत्पादकता का निर्धारण कंडिका सं0 05 में वर्णित शर्तों/मापदण्डों के आलोक में किया जाएगा।
- निदेशक उद्यान, बिहार द्वारा निर्गत अनुदेश के आलोक में उत्पादकता प्रति इकाई का निर्धारण किया जाएगा।
- निदेशक पशुपालन, बिहार द्वारा निर्गत अनुदेश के आलोक में उत्पादकता प्रति इकाई (02 गाय) का निर्धारण किया जाएगा।
- निदेशक मत्स्य, बिहार द्वारा निर्गत अनुदेश के आलोक में उत्पादकता प्रति एकड़ का निर्धारण किया जाएगा।

12. प्रखंड स्तर पर प्राप्त आवेदनपत्रों को जिला में भेजने की प्रक्रिया –

- प्रखंड तकनीकी प्रबंधक द्वारा कृषि प्रक्षेत्र के प्रत्येक प्रक्षेत्र/व्यवसाय के सभी आवेदन पत्रों एवं सम्बद्ध कागजातों तथा मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन अलग-अलग परियोजना निदेशक, आत्मा को उपलब्ध कराया जाएगा।
- उद्यान प्रक्षेत्र के आवेदन पत्रों एवं सम्बद्ध कागजातों को प्रखंड तकनीकी प्रबंधक द्वारा सहायक निदेशक उद्यान को उपलब्ध कराया जाएगा।
- पशुपालन प्रक्षेत्र के आवेदन पत्रों एवं सम्बद्ध कागजातों को प्रखंड तकनीकी प्रबंधक द्वारा जिला पशुपालन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।
- मत्स्यपालन प्रक्षेत्र के आवेदन पत्रों एवं सम्बद्ध कागजातों को प्रखंड तकनीकी प्रबंधक द्वारा जिला मत्स्य पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।

13. कृषक चयन हेतु जिला स्तर पर समिति का गठन

(क) कृषि/उद्यान/मत्स्यपालन/ पशुपालन प्रक्षेत्र के लिए

- जिला पदाधिकारी — अध्यक्ष
- जिला कृषि पदाधिकारी — सदस्य
- जिला पशुपालन पदाधिकारी — सदस्य सचिव (पशुपालन प्रक्षेत्र के लिए) एवं मत्स्य के लिए सदस्य
- परियोजना निदेशक, आत्मा — सदस्य सचिव (कृषि प्रक्षेत्र के लिए) एवं मत्स्य के लिए सदस्य
- सहायक निदेशक, उद्यान — सदस्य सचिव (उद्यान प्रक्षेत्र के लिए) एवं कृषि/मत्स्य प्रक्षेत्र के लिए सदस्य
- जिला मत्स्यपालन पदाधिकारी — सदस्य सचिव (मत्स्यपालन प्रक्षेत्र के लिए) एवं कृषि प्रक्षेत्र के लिए सदस्य

14. प्रखंड एवं जिला स्तर पर प्रक्षेत्र/व्यवसाय के लिए कृषक चयन की प्रक्रिया :-

14.1. कृषि प्रक्षेत्र के लिए -

14.1.1. प्रखंड स्तर पर चयन

- परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा प्रक्षेत्रवार प्रखंडवार उत्पादकता के आधार पर कृषकवार वरीयता सूची बनाई जाएगी।
- प्रत्येक प्रक्षेत्र में कृषक चयन के लिए प्रक्षेत्रवार प्रखंडवार कृषकवार वरीयता सूची एवं सम्बद्ध कागजातों को परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा कृषि प्रक्षेत्र के लिए गठित जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में रखा जाएगा।
- जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा प्रत्येक प्रक्षेत्र में प्रत्येक प्रखंड के लिए अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने वाले प्रथम 3-3 किसानों का चयन किया जाएगा।
- प्रत्येक प्रखंड में प्रत्येक प्रक्षेत्र के लिए सर्वोच्च उत्पादकता प्राप्त करने वाले किसान को किसान श्री के रूप में चयनित किया जाएगा।
- प्रत्येक प्रखंड में प्रत्येक व्यवसाय/इकाई के लिए वरीयता सूची अलग-अलग परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा परियोजना निदेशक आत्मा/जिला कृषि पदाधिकारी/जिला समाहरणालय के सूचनापट पर प्रकाशित की जाएगी।

14.1.2. जिला स्तर पर चयन

- परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा जिले में प्रत्येक प्रक्षेत्र के लिए सभी प्रखंडों से प्राप्त उत्पादकता को समेकित करते हुए कृषकवार वरीयता सूची बनाई जाएगी।
- परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा इसे जिला स्तरीय चयन समिति के बैठक में रखा जाएगा।



- जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा जिला में प्रत्येक प्रक्षेत्र में अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने वाले प्रथम 2–2 किसानों का चयन किया जाएगा।
- प्रत्येक जिला में प्रत्येक प्रक्षेत्र के लिए सर्वोच्च उत्पादकता प्राप्त करने वाले किसान को किसान गौरव के लिए चयनित किया जाएगा।
- जिला में प्रत्येक व्यवसाय/इकाई के लिए वरीयता सूची अलग—अलग परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा परियोजना निदेशक आत्मा/जिला कृषि पदाधिकारी/जिला समाहरणालय के सूचनापट पर प्रकाशित की जाएगी।
- अगर किसी प्रखंड के किसी प्रक्षेत्र/व्यवसाय के सर्वश्रेष्ठ किसान जिला स्तर के पुरस्कार के लिए चयनित किए जाते हैं तो उस प्रखंड के उस व्यवसाय/इकाई के द्वितीय वरीयतम किसान प्रखंड में उस इकाई/व्यवसाय के लिए सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में चयनित समझे जायेंगे।
- परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा जिला स्तर पर प्रत्येक प्रक्षेत्र के लिए सर्वोच्च उत्पादकता प्राप्त करने वाले चयनित किसान का नाम एवं पता, चयन समिति के बैठक की कार्यवाही तथा संबंधित किसान से संबंधित सभी कागजात निदेशक बामेती, बिहार, पटना को समिति के अनुमोदन के एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करायेंगे।

14.2. उद्यान प्रक्षेत्र के लिए –

14.2.1. प्रखंड स्तर पर चयन

- सहायक निदेशक, उद्यान द्वारा प्रक्षेत्रवार प्रखंडवार उत्पादकता के आधार पर कृषकवार वरीयता सूची बनाई जाएगी।
- प्रत्येक प्रक्षेत्र में कृषक चयन के लिए प्रक्षेत्रवार प्रखंडवार कृषकवार वरीयता सूची एवं सम्बद्ध कागजातों को सहायक निदेशक, उद्यान द्वारा उद्यान प्रक्षेत्र के लिए गठित जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में रखा जाएगा।
- जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा प्रत्येक प्रक्षेत्र में प्रत्येक प्रखंड के लिए अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने वाले प्रथम 3–3 किसानों का चयन किया जाएगा।
- प्रत्येक प्रखंड में प्रत्येक प्रक्षेत्र के लिए सर्वोच्च उत्पादकता प्राप्त करने वाले किसान को किसान श्री के रूप में चयनित किया जाएगा।
- प्रत्येक प्रखंड में प्रत्येक व्यवसाय/इकाई के लिए वरीयता सूची अलग—अलग परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा परियोजना निदेशक आत्मा/जिला कृषि पदाधिकारी/जिला समाहरणालय के सूचनापट पर प्रकाशित की जाएगी।

14.2.2. जिला स्तर पर चयन

- सहायक निदेशक उद्यान द्वारा जिले में प्रत्येक प्रक्षेत्र के लिए सभी प्रखंडों से प्राप्त उत्पादकता को समेकित करते हुए कृषकवार वरीयता सूची बनाई जाएगी।
- सहायक निदेशक उद्यान द्वारा इसे जिला स्तरीय चयन समिति के बैठक में रखा जाएगा।
- जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा जिला में प्रत्येक प्रक्षेत्र में अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने वाले प्रथम 2-2 किसानों का चयन किया जाएगा।
- प्रत्येक जिला में प्रत्येक प्रक्षेत्र के लिए सर्वोच्च उत्पादकता प्राप्त करने वाले किसान को किसान गौरव के लिए चयनित किया जाएगा।
- जिला में प्रत्येक व्यवसाय/इकाई के लिए वरीयता सूची अलग-अलग परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा परियोजना निदेशक आत्मा/जिला कृषि पदाधिकारी/जिला समाहरणालय के सूचनापट पर प्रकाशित की जाएगी।
- अगर किसी प्रखंड के किसी प्रक्षेत्र/व्यवसाय के सर्वश्रेष्ठ किसान जिला स्तर के पुरस्कार के लिए चयनित किए जाते हैं तो उस प्रखंड के उस व्यवसाय/इकाई के द्वितीय वरीयतम किसान प्रखंड में उस इकाई/व्यवसाय के लिए सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में चयनित समझे जायेंगे।
- परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा जिला स्तर पर प्रत्येक प्रक्षेत्र के लिए सर्वोच्च उत्पादकता प्राप्त करने वाले चयनित किसान का नाम एवं पता, चयन समिति के बैठक की कार्यवाही तथा संबंधित किसान से संबंधित सभी कागजात निदेशक उद्यान, बिहार, पटना को समिति के अनुमोदन के एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करायेंगे।

14.2. पशुपालन प्रक्षेत्र के लिए –

14.2.1. प्रखंड स्तर पर चयन

- जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा प्रखंडवार कृषकवार उत्पादकता के आधार पर वरीयता सूची बनाई जाएगी।
- प्रखंड स्तर पर कृषक चयन के लिए प्रखंडवार कृषकवार वरीयता सूची एवं सम्बद्ध कागजातों को जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा पशुपालन प्रक्षेत्र के लिए गठित जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में रखा जाएगा।
- जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा प्रत्येक प्रखंड में पशुपालन प्रक्षेत्र के लिए अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने वाले प्रथम 3-3 किसानों का चयन किया जाएगा।
- प्रत्येक प्रखंड में पशुपालन प्रक्षेत्र के लिए सर्वोच्च उत्पादकता प्राप्त करने वाले किसान को किसान श्री के रूप में चयनित किया जाएगा।
- प्रत्येक प्रखंड के लिए वरीयता सूची जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के सूचनापट पर प्रकाशित की जाएगी।



14.2.2. जिला स्तर पर चयन

- जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा जिले में पशुपालन प्रक्षेत्र के लिए सभी प्रखंडों से प्राप्त उत्पादकता को समेकित करते हुए कृषकवार वरीयता सूची बनाई जाएगी।
- जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा इसे पशुपालन प्रक्षेत्र के लिए गठित जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में रखा जाएगा।
- जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा जिला में पशुपालन प्रक्षेत्र में अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने वाले प्रथम 2-2 किसानों का चयन किया जाएगा।
- प्रत्येक जिला में पशुपालन प्रक्षेत्र के लिए सर्वोच्च उत्पादकता प्राप्त करने वाले किसान को किसान गौरव के रूप में चयनित किया जाएगा।
- जिला के लिए वरीयता सूची जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के सूचनापट पर प्रकाशित की जाएगी।
- अगर किसी प्रखंड के सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता वाले किसान जिला स्तर के पुरस्कार के लिए चयनित किए जाते हैं तो उस प्रखंड के द्वितीय वरीयतम किसान प्रखंड में सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में चयनित समझे जायेंगे।
- जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा सर्वोच्च उत्पादकता प्राप्त करने वाले चयनित किसान का नाम एवं पता, चयन समिति के बैठक की कार्यवाही तथा संबंधित किसान से संबंधित सभी कागजात निदेशक पशुपालन, बिहार, पटना को समिति के अनुमोदन के एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करायेंगे।

14.3. मत्स्यपालन प्रक्षेत्र के लिए –

14.3.1. प्रखंड स्तर पर चयन

- (I) प्रखंड तकनीकी प्रबंधक द्वारा प्रखंडवार कृषकवार उत्पादकता के आधार पर वरीयता सूची बनाई जाएगी।
- (II) प्रखंड स्तर पर कृषक चयन के लिए प्रखंडवार कृषकवार वरीयता सूची एवं सम्बद्ध कागजातों को प्रखंड तकनीकी प्रबंधक द्वारा मत्स्य प्रक्षेत्र के लिए गठित जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में रखा जाएगा।
- (III) जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा प्रत्येक प्रखंड में मत्स्य प्रक्षेत्र के लिए अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने वाले प्रथम 3-3 किसानों का चयन किया जाएगा।
- (IV) प्रत्येक प्रखंड में मत्स्य प्रक्षेत्र के लिए सर्वोच्च उत्पादकता वाले किसान को किसान श्री के रूप में चयनित किया जाएगा।
- (V) प्रत्येक प्रखंड के लिए वरीयता सूची जिला मत्स्य पदाधिकारी/प्रखंड कृषि कार्यालय के सूचनापट पर प्रकाशित की जाएगी।

(VI) प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के द्वारा प्रखंड स्तर पर अंतिम रूप से तैयार वरीयता सूची जिला मत्स्य पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

14.3.2. जिला स्तर पर चयन

- (I) जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा सभी प्रखंडों से प्राप्त सभी अनुशंसित आवेदनों को समेकित करते हुए वरीयता सूची बनाई जाएगी।
- (II) जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा गठित जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा जाएगा।
- (III) जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा जिला में मत्स्य प्रक्षेत्र में अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने वाले प्रथम 2-2 किसानों का चयन किया जाएगा।
- (IV) प्रत्येक जिला में सर्वोच्च उत्पादकता प्राप्त करने वाले किसान को किसान गौरव के रूप में चयनित किया जाएगा।
- (V) जिला के लिए वरीयता सूची जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के सूचनापट पर प्रकाशित की जाएगी।
- (VI) अगर किसी प्रखंड के सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता वाले किसान जिला स्तर के पुरस्कार के लिए चयनित किए जाते हैं तो उस प्रखंड के द्वितीय वरीयतम किसान प्रखंड में सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में चयनित समझे जायेंगे।
- (VII) जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा सर्वोच्च उत्पादकता प्राप्त करने वाले चयनित किसान का नाम एवं पता, चयन समिति के बैठक की कार्यवाही तथा संबंधित किसान से संबंधित सभी कागजात निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना को समिति के अनुमोदन के एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करायेंगे।

15. राज्य स्तर पर कृषक चयन हेतु कृषि प्रक्षेत्र के लिए समिति का गठन –

परियोजना निदेशक आत्मा से प्राप्त आवेदनपत्रों की जाँच एवं वरीयता निर्धारण तथा चयन प्रक्रिया को पूरी कराने के लिए राज्य स्तर पर एक समिति का गठन किया जाता है जिसके सदस्यों का विवरण निम्नलिखित प्रकार से होगा—

- विशेष सचिव, कृषि—सह—
राज्य नोडल पदाधिकारी, आत्मा योजना, बिहार, पटना — अध्यक्ष
- निदेशक पशुपालन, बिहार, पटना — सदस्य
- निदेशक उद्यान, बिहार, पटना — सदस्य
- निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना — सदस्य



- निदेशक गव्य विकास, बिहार, पटना — सदस्य
- निदेशक पी०पी०एम०, बिहार, पटना — सदस्य
- निदेशक भूमि संरक्षण, बिहार, पटना — सदस्य
- बामेती से उप निदेशक/स्टेट कॉऑर्डिनेटर — सदस्य
- निदेशक, बामेती — सदस्य सचिव

राज्य स्तर पर मत्स्य एवं पशुपालन के लिए समिति का गठन —

- विशेष सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार, पटना — अध्यक्ष
- निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना — सदस्य सचिव
- निदेशक पशुपालन, बिहार, पटना — सदस्य
- निदेशक, बामेती — सदस्य
- निदेशक गव्य विकास, बिहार, पटना — सदस्य
- संयुक्त मत्स्य निदेशक/पशुपालन, मुख्यालय, बिहार, पटना — सदस्य
- संयुक्त मत्स्य निदेशक/पशुपालन, अनुसंधान, बिहार, पटना — सदस्य
- संयुक्त मत्स्य/पशुपालन निदेशक, प्रशिक्षण एवं प्रसार, बिहार, पटना — सदस्य
- उप मत्स्य/पशुपालन निदेशक, रा०प०ई०, बिहार, पटना — सदस्य

इसमें 05 सदस्यों की उपस्थिति से कोरम पूरा माना जाएगा परन्तु अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

16. राज्य स्तर पर कृषि प्रक्षेत्र के लिए कृषक चयन की प्रक्रिया —

- निदेशक बामेती, बिहार, पटना द्वारा प्रत्येक व्यवसाय/इकाई के लिए उत्पादकता के आधार पर वरीयता सूची बनाई जाएगी।
- निदेशक बामेती, बिहार, पटना द्वारा इसे विशेष सचिव, कृषि—सह—राज्य नोडल पदाधिकारी, आत्मा योजना, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की बैठक में रखा जाएगा।
- चयन समिति द्वारा प्रत्येक व्यवसाय/इकाई के लिए सर्वोच्च उत्पादकता प्राप्त करने वाले किसान का चयन किसान श्रेष्ठ पुरस्कार हेतु किया जाएगा।
- जिस जिला के जिस व्यवसाय/प्रक्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ किसान राज्य स्तर पर चयनित किए जायेंगे तो उस जिला के उस प्रक्षेत्र/व्यवसाय के दूसरे किसान जिला में सर्वश्रेष्ठ किसान (किसान गौरव) के रूप में चयनित समझे जायेंगे। इसी प्रकार से संबंधित प्रखंड के तीसरे किसान 'किसान श्री' के रूप में चयनित समझे जायेंगे।

17. राज्य स्तर पर पशुपालन प्रक्षेत्र के लिए कृषक चयन की प्रक्रिया

- निदेशक पशुपालन, बिहार, पटना द्वारा एक चयन समिति का गठन किया जाएगा।



- उत्पादकता के आधार पर कृषकवार वरीयता सूची बनाकर चयन समिति द्वारा सर्वोच्च उत्पादकता प्राप्त करने वाले किसान का चयन किया जाएगा। चयनित किसान का नाम एवं पता से संबंधित विवरण निदेशक, बामेती, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाएगा।
- जिस जिला के पशुपालन प्रक्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ किसान राज्य स्तर पर चयनित किए जायेंगे तो उस जिला के दूसरे किसान जिला में सर्वश्रेष्ठ किसान (किसान गौरव) के रूप में चयनित समझे जायेंगे। इसी प्रकार से संबंधित प्रखंड के तीसरे किसान 'किसान श्री' के रूप में चयनित समझे जायेंगे।

18. राज्य स्तर पर मत्स्यपालन प्रक्षेत्र के लिए कृषक चयन की प्रक्रिया

- निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा एक चयन समिति का गठन किया जाएगा।
- उत्पादकता के आधार पर कृषकवार वरीयता सूची बनाकर चयन समिति द्वारा सर्वोच्च उत्पादकता प्राप्त करने वाले किसान का चयन किया जाएगा। चयनित किसान का नाम एवं पता से संबंधित विवरण निदेशक, बामेती, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाएगा।
- जिस जिला के मत्स्य प्रक्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ किसान राज्य स्तर पर चयनित किए जायेंगे तो उस जिला के दूसरे किसान जिला में सर्वश्रेष्ठ किसान (किसान गौरव) के रूप में चयनित समझे जायेंगे। इसी प्रकार से संबंधित प्रखंड के तीसरे किसान 'किसान श्री' के रूप में चयनित समझे जायेंगे।

19. किसान पुरस्कार का वितरण –

- 19.1. राज्य स्तर पर – निदेशक, बामेती, बिहार, पटना द्वारा सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत समारोह आयोजित कर प्रत्येक प्रक्षेत्र के लिए चयनित कृषकों को पुरस्कार एवं प्रशंसा पत्र वितरण की कार्रवाई करेंगे।

19.2. जिला स्तर पर –

- जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा जिला एवं प्रखंड स्तर पर चयनित किसानों के नाम एवं पता परियोजना निदेशक, आत्मा को उपलब्ध कराया जाएगा।
- परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा जिला पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत समारोह आयोजित कर प्रत्येक प्रक्षेत्र के लिए चयनित कृषकों को पुरस्कार एवं प्रशंसापत्र वितरण की कार्रवाई की जाएगी।

20. सामान्य अनुदेश:-

- 20.1. इस योजना में शामिल होने के लिए इच्छुक किसानों को निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित समय सीमा के अंदर ऑन लाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा।



- 20.2. फसल परिपक्वता/कटनी की सूचना संबंधित आवेदक को कम—से—कम 10 दिन पूर्व प्रखंड तकनीकी प्रबंधक को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ताकि फसल जाँच कटनी करने में कोई कठिनाई नहीं हो।
- 20.3. कृषकों के चयन का आधार गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादकता रखा गया है।
- 20.4. मूल्यांकन समिति के सदस्यों के भ्रमण एवं इसमें होने वाले खर्च का समायोजन आत्मा योजना के कैफेटेरिया ऑफ एकिटविटी के बी—14 (ऑपरेशनल मद) से किया जाएगा।
- 20.5. राज्य एवं जिला स्तर पर समारोह आयोजित कर चयनित कृषकों को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। राज्य/जिला स्तर पर आयोजित होने वाले किसान मेला/प्रदर्शनी के अवसर भी वितरण समारोह का आयोजन किया जा सकता है।
- 20.6. अगर कोई आवेदक गलत आवेदन/सूचना देकर पुरस्कार प्राप्त करता है तो उसका पुरस्कार को निरस्त करते हुए उसके विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।
- 20.7. सभी प्रक्षेत्रों के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर गठित चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

निदेशक
2020

बामेती, बिहार, पटना

अनुसूची- 1

किसान पुरस्कार योजना (.....) अंतर्गत कृषि/उद्यान प्रक्षेत्र में
निबंधन हेतु आवेदन प्रपत्र

निबंधन संख्या एवं वर्ष—

प्रक्षेत्र का नाम —

फसल का नाम —

मौसम—

1. किसान का नाम —

Photo

2. पिता/पति का नाम —

3. पूर्ण आवासीय पता —

ग्राम/मोहल्ला

पोस्ट.....थाना.....

प्रखंड.....ज़िला.....राज्य.....

दूरभाष/मोबाईल सं.....

4. आवेदक की श्रेणी— (अनु० जाति/जनजाति/अत्यंत पिछ़ड़ा वर्ग/पिछ़ड़ा वर्ग/सामान्य)

5. बोई गई फसल क्षेत्र का विवरण—

थाना सं.....मौजा.....

खाता सं.....प्लौट सं.....

रकबा

6. भूमि का विवरण — स्वयं/पटा/लीज/बटाईदार —

7. बोआई संबंधी विवरण—

फसल प्रभेद का नाम—

बीज दर—(कि० ग्रा०/एकड़) —

बीज उपचार किया गया अथवा नहीं (अगर हाँ तो दवा का नाम एवं व्यवहार दर)

बोआई का समय—



बीज का श्रोत

(i) घर का नाम—

(ii) बाहर से क्रय किये जाने की स्थिति में बीज विक्रेता एवं कम्पनी का नाम एवं पता.

बोआई की विधि – (श्री विधि / जीरो टिलेज / सीड-कम-फर्टिलाइजर हील / अन्य) –

बोआई की दूरी –

पौधे से पौधे –

पंक्ति से पंक्ति –

प्रति हील बीज / पौध की संख्या

8. प्रति एकड़ व्यवहार किए गए / फसल अवधि में व्यवहार किए जाने वाले उर्वरक संबंधी विवरण (मात्रा कि० ग्राम में) –

क्र०सं०	उर्वरक का नाम	उर्वरक की मात्रा (कि०ग्राम०) में	अभ्युक्ति
1.	यूरिया		
2.	डी०ए०पी०		
3.	एस०एस०पी०		
4.	म्यूरेट ऑफ पोटाश		
5.	सूक्ष्म पोषक तत्व		
6.	जैविक कम्पोस्ट		
7.	वर्मी कम्पोस्ट		

प्रतिष्ठान का नाम एवं पता जहाँ से उर्वरक क्रय किया गया.....

9. सिंचाई का व्यवहार—

क्र.सं.	श्रोत का नाम	बीज बुआई के बाद कितने दिनों पर सिंचाई की गई	1	2	3	4	5	6	7
1	सरकारी नलकूप								
2	निजी नलकूप								
3	तालाब / नहर								
4	स्प्रिंकलर								
5	रेन गन								
6	झील								
7	अन्य								

10. कीटों के रोकथाम हेतु किये गये उपाय—


क्र०सं०	कीट का नाम	उपयोग किए गए दवा का नाम	व्यवहार दर

प्रतिष्ठान का नाम एवं पता जहाँ से कीटनाशी क्रय किया गया.....

11. रोगों के रोकथाम हेतु किये गये उपाय—

क्र०सं०	रोग का नाम	उपयोग किए गए दवा का नाम	व्यवहार दर

प्रतिष्ठान का नाम एवं पता जहाँ से फफूँदनाशी दवा क्रय किया गया.....



12. उपज संबंधी विवरण

- i. पौधों की संख्या प्रति वर्ग मीटर
 - ii. प्रति हिल / प्रति पौध कल्लों की संख्या
 - iii. प्रत्येक बाली में अनुमानित दानों की संख्या
 - iv. अनुमानित उपज प्रति एकड़

13. क्या आप आत्मा/किसान कलब/पैक्स के सदस्य हैं (अगर हो तो उसका विवरण द)

14. क्या आपने कृषि / उद्यान में कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है (अगर हाँ तो उसका विवरण दें)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी में सही है। कोई भी सूचना गलत पाए जाने पर मेरा आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है तथा आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

किसान का हस्ताक्षर

स्थान —

तिथि -

अनुसूची— 2

किसान पुरस्कार योजना (.....) अंतर्गत पशुपालन प्रक्षेत्र में निबंधन
हेतु आवेदन प्रपत्र

1. निबंधन संख्या एवं वर्ष—
2. ईकाई / व्यवसाय का नाम —

Photo

3. किसान का नाम —

4. पिता / पति का नाम —

5. पूर्ण आवासीय पता —

ग्राम / मोहल्ला

पोस्ट..... थाना.....

प्रखंड..... जिला..... राज्य.....

दूरभाष / मोबाईल सं0.....

6. आवेदक की श्रेणी— (अनु० जाति / जनजाति / अत्यंत पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग / सामान्य)

7. आवेदक के पास उपलब्ध पशुओं की संख्या

क्र०सं०	पशु का विवरण	नस्ल	प्रजाति
1.	संकर गाय		
2.	देसी गाय		
3.	बकरा / बकरी (ब्लैक बंगाल)		

8. पशुआहार का विवरण (औसत आहार प्रति किलोग्राम प्रति पशु प्रति दिन)

क्र० सं०	पशु का प्रकार	दाना	हरा चारा	विटामिन एवं मिनरल	मिक्सचर	प्रतिष्ठान का नाम एवं पता जहाँ से विटामिन, मिनरल एवं मिक्सचर क्रय किया गया
1.	संकर गाय					
2.	देसी गाय					
3.	बकरा / बकरी (ब्लैक बंगाल)					
4.	अन्य					

अनुसूची— 2

किसान पुरस्कार योजना (.....) अंतर्गत पशुपालन प्रक्षेत्र में निबंधन हेतु आवेदन प्रपत्र

1. निबंधन संख्या एवं वर्ष—
2. ईकाई / व्यवसाय का नाम —

3. किसान का नाम —

4. पिता / पति का नाम —

5. पूर्ण आवासीय पता —

ग्राम / मोहल्ला

पोस्ट.....थाना.....

प्रखंड.....जिला.....राज्य.....

दूरभाष / मोबाइल सं0.....

6. आवेदक की श्रेणी— (अनु० जाति / जनजाति / अत्यंत पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग / सामान्य)

7. आवेदक के पास उपलब्ध पशुओं की संख्या

क्र०सं०	पशु का विवरण	नस्ल	प्रजाति
1.	संकर गाय		
2.	देसी गाय		
3.	बकरा / बकरी (ब्लैक बंगाल)		

8. पशुआहार का विवरण (औसत आहार प्रति किलोग्राम प्रति पशु प्रति दिन)

क्र० सं०	पशु का प्रकार	दाना	हरा चारा	विटामिन एवं मिनरल	मिक्सचर	प्रतिष्ठान का नाम एवं पता जहाँ से विटामिन, मिनरल एवं मिक्सचर क्रय किया गया
1.	संकर गाय					
2.	देसी गाय					
3.	बकरा / बकरी (ब्लैक बंगाल)					
4.	अन्य					

12. उपज संबंधी विवरण

- i. पौधों की संख्या प्रति वर्ग मीटर
- ii. प्रति हिल / प्रति पौध कल्लों की संख्या
- iii. प्रत्येक बाली में अनुमानित दानों की संख्या
- iv. अनुमानित उपज प्रति एकड़

13. क्या आप आत्मा / किसान कलब / पैक्स के सदस्य हैं (अगर हाँ तो उसका विवरण दें)

14. क्या आपने कृषि / उद्यान में कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है (अगर हाँ तो उसका विवरण दें)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी में सही है। कोई भी सूचना गलत पाए जाने पर मेरा आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है तथा आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

किसान का हस्ताक्षर

स्थान -

तिथि -

9. पशुओं को बीमारी से बचाने हेतु लगवाये गए टीके का विवरण

क्र०सं०	पशु का प्रकार	बीमारी का नाम	टीका का नाम	टीका का समय (महिना)	टीका देने वाली संस्था का नाम एवं पता/ पशु चिकित्सक का नाम
1.	संकर गाय				
2.	देसी गाय				
3.	बकरा / बकरी (ब्लैक बंगाल)				

10. पशुओं को आंतरिक कृमि रोगों से बचाव हेतु किए गए उपाय-

क्र० सं०	पशु का प्रकार	दवा का नाम	खुराक	कितने— कितने दिनों बाद दवा दिया गया	कितनी बार दिया गया	प्रतिष्ठान का नाम एवं पता जहाँ से दवा क्रय किया गया
1.	संकर गाय					
2.	देसी गाय					
3.	बकरा / बकरी (ब्लैक बंगाल)					

11. बाह्य कृमि रोगों से पशुओं के रक्षा हेतु किए गए उपाय-

क्र० सं०	पशु का प्रकार	दवा का नाम	खुराक	कितने— कितने दिनों बाद दवा दिया गया	कितनी बार दिया गया	प्रतिष्ठान का नाम एवं पता जहाँ से दवा क्रय किया गया
1.	संकर गाय					
2.	देसी गाय					
3.	बकरा / बकरी (ब्लैक बंगाल)					

12. कृत्रिम गर्भाधान का विवरण –

क्र०सं०	पशु का नाम	कितने दिनों बाद कृत्रिम गर्भाधान किया गया	कृत्रिम गर्भाधान करने वाले संस्था का नाम एवं पता
1.	संकर गाय		

2.	देसी गाय		
3.	बकरी (ब्लैक बंगाल)		

13. अनुमानित उत्पादकता (पशु के लिए प्रति ईकाई प्रति शाम) का विवरण –

क्रोसं	पशु का प्रकार	प्रति पशु दूध की मात्रा	पशुओं की सं	कुल दूध की मात्रा (वजन)
1.	संकर गाय			
2.	देसी गाय			
3.	बकरा / बकरी (ब्लैक बंगाल)			

14. क्या आप आत्मा / किसान कलब / पैक्स के सदस्य हैं (अगर हाँ तो उसका विवरण दें)

.....

.....

15. क्या आपने पशुपालन / गव्य विकास में कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है (अगर हाँ तो उसका विवरण दें)

.....

.....

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी में सही है। कोई भी सूचना गलत पाए जाने पर मेरा आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है तथा आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

किसान का हस्ताक्षर

स्थान –

तिथि –



अनुसूची— 3

किसान पुरस्कार योजना (.....) अंतर्गत मत्स्यपालन प्रक्षेत्र में निबंधन हेतु आवेदन प्रपत्र

1. निबंधन संख्या एवं वर्ष—
2. ईकाई/व्यवसाय का नाम —
3. मौसम—
4. किसान का नाम —
5. पिता/पति का नाम —
6. पूर्ण आवासीय पता —

Photo

ग्राम/मोहल्ला
पोस्ट.....थाना.....
प्रखंड.....जिला.....राज्य.....

दूरभाष/मोबाइल सं0.....

7. आवेदक की श्रेणी— (अनु0 जाति/जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/सामान्य)

8. किसान के पास उपलब्ध तालाब के क्षेत्रफल का विवरण —

तालाब का क्र0 सं0	थाना सं0	खाता सं0	खेसरा सं0	तालाब का क्षेत्रफल
1.				
2.				
3.				

9. तालाब में डाले गए प्रजातियों के जीरा के अनुपात का विवरण

क. Composite Fish Culture के लिए

क्र0 सं0	रोहू	कतला	सिल्वर कॉर्प	कॉमन कॉर्प	पंगेशिएस
1.					
2.					
3.					

10. संरथा का नाम एवं पता जहाँ से मछली जीरा क्रय किया गया –

क्र० सं०	रोहू	कतला	सिल्वर कॉर्प	कॉमन कॉर्प	पंगेसियस
1.					
2.					
3.					

11. पोखर में डाले गए उर्वरक / जैव उर्वरक / अन्य का विवरण (मात्रा किलोग्राम में)

क्र० सं०	यूरिया	फॉस्फोरस	गोबर खाद	चूना	अन्य	प्रतिष्ठान का नाम एवं पता जहाँ से उर्वरक क्रय किया गया
1.						
2.						
3.						

12. तालाब में व्यवहार किए गए मछली का आहार का विवरण

क्र० सं०	आहार का नाम	आहार की मात्रा (किलो ग्राम में)
1.		
2.		
3.		

13. पोखर में छोड़े गए मछली का वजन

क्र० सं०	मछली की प्रजाति	जीरा की सं० / मात्रा	प्रत्येक जीरा का अनुमानित वजन (किलो ग्राम में)	कुल वजन (किलो ग्राम में)
1.	रोहू			
2.	कतला			
3.	सिल्वर कॉर्प			
4.	कॉमन कॉर्प			
5.	पंगेसियस			
	कुल			



अनुसूची— 3

किसान पुरस्कार योजना (.....) अंतर्गत मत्स्यपालन प्रक्षेत्र में निबंधन
हेतु आवेदन प्रपत्र

1. निबंधन संख्या एवं वर्ष—
2. ईकाई / व्यवसाय का नाम —
3. मौसम—
4. किसान का नाम —
5. पिता / पति का नाम —
6. पूर्ण आवासीय पता —

Photo

ग्राम / मोहल्ला
 पोस्ट थाना
 प्रखंड जिला राज्य
 दूरभाष / मोबाइल सं.

7. आवेदक की श्रेणी— (अनु० जाति / जनजाति / अत्यंत पिछळा वर्ग / पिछळा वर्ग / सामान्य)

8. किसान के पास उपलब्ध तालाब के क्षेत्रफल का विवरण —

तालाब का क्र० सं०	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	तालाब का क्षेत्रफल
1.				
2.				
3.				

9. तालाब में डाले गए प्रजातियों के जीरा के अनुपात का विवरण

क. Composite Fish Culture के लिए

क्र० सं०	रोहू	कतला	सिल्वर कॉर्प	कॉमन कॉर्प	पंगोशिएस
1.					
2.					
3.					

14. क्या आप आत्मा/किसान कलब/पैक्स के सदस्य हैं (अगर हाँ तो उसका विवरण दें)

15. क्या आपने मत्स्यपालन में कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है (अगर हाँ तो उसका विवरण दें)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी में सही है। कोई भी सूचना गलत पाए जाने पर मेरा आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है तथा आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

किसान का हस्ताक्षर

स्थान —

तिथि —

अनुसूची-4
मूल्यांकन दल के मूल्यांकन हेतु प्रपत्र

1. प्रक्षेत्र का नाम –

2. फसल/ईकाई/व्यवसाय का नाम –

3. मौसम–

4. किसान का नाम –

5. पिता/पति का नाम –

6. पूर्ण आवासीय पता –

ग्राम/मोहल्ला

पोस्ट.....थाना.....

प्रखंड.....जिला.....राज्य.....

दूरभाष/मोबाईल सं0.....

7. आवेदक की श्रेणी— (अनु0 जाति/जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/सामान्य)

8. मूल्यांकन दल के जाँच का विवरण –

जाँच की तिथि –

9. जाँच के क्रम में प्रक्षेत्र/ईकाईवार प्राप्त उत्पादकता—

क्र0 सं0	फसल/व्यवसाय/ ईकाई का नाम	जाँच का रकवा	जाँच की सं0	जाँच क्षेत्र की उत्पादकता (किलोग्राम/लीटर प्रति ईकाई)	कुल उत्पादकता प्रति ईकाई (किलोग्राम/ लीटर में)
1.	धान (संकर/अधिक ऊपजशील)				
2.	गेहूँ				
3.	आलू				
4.	प्याज				
5.	मखाना				
6.	लीची				
7.	अनानास				
8.	पपीता				

9.	गाय क्रॉस ब्रीड / देशी				
10.	बकरा / बकरी (ब्लैक बंगाल)				
11.	मछली				
	क. मिश्रित मत्स्य पालन				
	ख. पंगेशियस				

10. किसान अथवा उसके प्रतिनिधि का नाम एवं हस्ताक्षर –

11. फसल जाँच करनी के समय गवाह के रूप में उपस्थित अन्य दो ग्रामीणों का नाम एवं

हस्ताक्षर –

(आवेदक का पिता / माँ / पत्नी / भाई / भौजाई / बहन / चाचा / चाची संबंधित को छोड़कर)

i. प्रथम किसान का नाम, पिता / पति का नाम, गाँव का नाम एवं हस्ताक्षर

ii. द्वितीय किसान का नाम, पिता / पति का नाम, गाँव का नाम एवं हस्ताक्षर

12. मूल्यांकन दल के सदस्यों का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.			
2.			
3.			

